कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

यह ध्यान में आया है कि विभिन्न शिक्षक एवं विभाग के अन्य कार्मिक विद्यालय समय के दौरान अपनी विभिन्न मांगो, ज्ञापन एवं प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में अवकाश एवं मुख्यालय छोडने की अनुमति के बगैर विभिन्न समूहों में मुख्यालय एवं मुख्यालय से बाहर जनप्रतिनिधियों/माननीय मंत्री महोदयगण एवं विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों से मिलने जाते हैं, जबकि बिना अवकाश स्वीकृत करवाये यदि कोई शिक्षक मुख्यालय छोडता है तो यह सेवा नियमों के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

विभाग के सभी शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस में विद्यालय समय का अधिकतम सदुपयोग शिक्षण एवं विद्यालय सम्बन्धी कार्यों के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि शैक्षणिक कार्य ही शिक्षक का मूल दायित्व है जबकि विभाग के विभिन्न शिक्षकों द्वारा अपने निजी स्वार्थो के मद्देनजर अपना समय/धन अपव्यय किया जा रहा है। यदि शिक्षकों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वे विद्यालय समय के पश्चात उक्त समस्याओं के समाधान के लिए समुचित स्तर पर सम्पर्क कर सकते हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति से जनाक्रोश की स्थितियां बनती हैं और विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षकों द्वारा विद्यालय समय में पूरी कर्तव्यनिष्ठा से शिक्षण कार्य को समय दिया जावे तो नामांकन वृद्धि, शिक्षण गुणवत्ता एवं परीक्षा परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अतः समस्त ब्लॉक/जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारियों एवं संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन विद्यालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिक सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बगैर मुख्यालय नहीं छोडें । उक्त निर्देशों की पालना न करने की स्थिति में संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान के विरूद्ध आचरण नियम–1971 के उल्लंघन की स्थिति में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से कठोर कार्यवाही अमल में लायी जावे।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/विविध/2019 दिनांक : 09.07.2019

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. विशिट सहायक,माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा(स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान–जयपुर ।
2. उप शासन सचिव,शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग,राजस्थान–जयपुर ।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर ।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक/विधि ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, आई.ए.एस.ई./डाईट ।
9. समस्त ग्रुप ऑफिसर कार्यालय हाजा ।
10. सिस्टम एनालिस्ट,कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड हेतु ।
11. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
12. समस्त अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा ।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर